(अ) भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं

(i) नियमित स्थापना के उपयंत्रियों की सेवाएं विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बनाये गए भर्ती नियमों मध्य प्रदेश लोक स्वास्थय यात्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भर्ती) नियम, 1976 के अनुसार शासित होती है।

(ii) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियो की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यात्रिंकी विभाग द्वारा अधिसूचना कमांक एफ 2–24–2010–1–चौंतीस भोपाल दिनांक 18.09.2012 के माध्यम से मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.09.2012 में भर्ती नियम अधिसूचित किये गए है।

(iii) कार्यभारित स्थापना के कर्मचारीयों को नियमित स्थापना में संविलियन किये जाने संबंधी कोई प्रावधान भर्ती नियमों में नहीं है।

(iv) माननीय न्यायालयों द्वारा भर्ती नियमों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इनमें निहित प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्तियों /पदोन्नतियों को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया गया है।

इस संबध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 198/1999 (मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहां विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियां की गई है वो कानूनी रूप से शून्य माने जायेंगें। यथा :–

> 47. By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government.

इस प्रकरण मे दायर एस.एल.पी. (सी.) सी.सी. कमांक 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुखलाल सराफ एवं अन्य) आदेश दिनांक 11.04.2017 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिये गए निर्देशों को मान्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी का नियमित स्थापना के समकक्ष/उच्च/निम्न पद पर संविलियन किया जाना किसी भी दृष्टि से विधि अनुरूप नही है।

(ब) "समान कार्य समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं

कार्यभारित स्थापना के उपयंत्रियों को नियमित स्थापना के उपयंत्रियों के समान वेतन तथा अन्य हित लाभ प्रदान करने हेतु "समान कार्य समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि कार्यभारित स्थापना के उपयंत्रियों का नियोजन प्रारंभ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार की भर्ती प्रकिया नहीं अपनायी गयी थी ना ही इन्हें रिक्त पदों के विरूद्ध नियोजित किया गया था ।